मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को 25 साल की जनसेवा पर शुभकामनाएं दीं

मुख्यमंत्री भजनलाल ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी व जल शक्ति मंत्री पी आर पाटिल से भी मुलाकात की

जयपुर, 15 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को सार्वजनिक जीवन में जनसेवा के 25 गौरवशाली वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रसेवा एवं जनसेवा के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा एवं ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राजस्थान की विकास यात्रा को नई गति मिल रही है तथा राजस्थान 2047 तक विकसित प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की और जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने पर शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राजस्थान की विकास यात्रा को नई गति मिल रही है। उनके नेतृत्व में आधारभूत संरचना, निवेश और जल प्रबंधन सहित, विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अभूतपूर्व कार्यों से राजस्थान वर्ष 2047 तक विकसित प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान गुरुवार को केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से मुलाकात कर महत्वपूर्ण परियोजनाओं और विषयों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात के दौरान प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार, प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री से भेंट कर यमुना जल समझौता, किशाऊ बहुद्देशीय परियोजना, राम जलसेतु लिंक परियोजना और नर्मदा परियोजना के लिए उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही, उन्होंने प्रदेश में जल प्रबंधन, पेयजल उपलब्धता और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से संबंधित विषयों पर सार्थक विस्तृत चर्चा भी की।

सुप्रीम कोर्ट मार्च के मामले में राहुल व इंडिया ब्लॉक के नेताओं को नोटिस

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं को एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में 12 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने के लिए उनके मार्च निकालने और कोर्ट रजिस्ट्री में प्रवेश करने पर चिंता जताई गई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राहुल गांधी और अन्य नेताओं से जवाब तलब किया है। यह जवाब चार वकीलों द्वारा दायर एक याचिका के संदर्भ में मांगा गया है, जिसमें कोर्ट परिसर के भीतर राजनीतिक प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका वकील दिगंत मिश्रा, दिव्यांश बिष्ट, आशीष गोपाल गर्ग और श्वेता गर्ग ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड उत्कर्ष जायसवाल के माध्यम से दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की भी मांग की है, क्योंकि उन्होंने सीजेआई सूर्य कांत के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने मांग की कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आसपास जुलूसों और विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

अजमेर के पूर्व महापौर धर्मेन्द्र गहलोत के निकाय चुनाव लड़ने पर 6 साल की रोक लगी

स्वायत्त शासन विभाग ने व्यवसायिक निर्माण की 13 फाइलों में दोषी करार देते हुए यह निर्णय लिया

- **नियम विरूद्ध व्यवसायिक निर्माण की स्वीकृतियाँ जारी करने के आरोप की न्यायिक जाँच में धर्मेन्द्र गहलोत दोषी पाये गए। इस आधार पर विभाग ने उन्हें 6 साल तक नगर निकाय चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया।**

अजमेर,15 अक्टूबर (निसं)। स्वायत्त शासन विभाग ने अजमेर नगर निगम के पूर्व महापौर धर्मेन्द्र गहलोत को व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृतियों से जुड़ी 13 फाइलों के मामले में दोषी करार देते हुए छह साल तक नगर निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जांच के आधार पर पद के दुरुपयोग के आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर की ओर से जारी आदेश के अनुसार, धर्मेन्द्र गहलोत के खिलाफ नियम विरुद्ध तरीके से व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृतियां जारी करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले की जांच के लिए अतिरिक्त जिला कलैक्टर, अजमेर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी।

समिति की जांच रिपोर्ट में धर्मेन्द्र गहलोत को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के बाद, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39(3) के तहत मामले की न्यायिक जांच करवाई गई। न्यायिक जांच अधिकारी, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की रिपोर्ट में आरोप प्रमाणित पाए गए। इसके बाद राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 (1) के तहत सुनवाई का अवसर देते हुए धर्मेन्द्र गहलोत को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया। गहलोत की ओर से नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत किया गया। विभाग के आदेश के अनुसार, प्रस्तुत स्पष्टीकरण, जांच समिति की रिपोर्ट और न्यायिक जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पद का दुरुपयोग किया जाना प्रमाणित पाया गया। इसी आधार पर विभाग ने धर्मेन्द्र गहलोत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें छह साल तक नगर निकाय चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया।

'2014 के बाद से आतंकवादियों की ''शैल्फ लाइफ'' एक साल से भी कम हो गई है'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सुरक्षा बल भारत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को एक साल में ही खत्म कर देते हैं

- **रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में डिफैंस कॉनक्लेव में पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर उसकी तरफ से कोई भी आतंकी हरकत हुई तो ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा।**

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चुनौती देते हुए कहा है कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसे कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हम अपनी संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं, इसलिए अब पाकिस्तान से शुरू होने वाला कोई भी आतंकी काम और भी कड़े जवाब को न्योता देगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से पता चलता है कि भारत कूटनीतिक आलोचना से हटकर आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सक्रिय कार्रवाई कर रहा है।

नई दिल्ली में गुरुवार को एक डिफेंस कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि 2014 के बाद से ज्यादातर आतंकवादियों की 'शेल्फ लाइफ' एक साल से भी कम हो गई है और सुरक्षा बलों ने भारत के खिलाफ हथियार उठाने के एक साल के अंदर ही उन्हें खत्म कर दिया है। रक्षा मंत्री ने शांति बनाए रखने के लिए ताकत और काबिलियत को जरूरी बताया।

बदलते सुरक्षा माहौल पर राजनाथ सिंह ने हाइब्रिड, हाई-टेक और हाइपर वॉरफेयर के इस दौर में ज्यादा सतर्कता और तैयारी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि आतंकवाद संगठित ग्रुप से आगे बढ़ रहा है और उभरते खतरों में 'लोन-वुल्फ' हमले और 'व्हाइट-कॉलर आतंकवाद' शामिल हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए कट्टरपंथी लोगों की पहचान करना और संभावित हमलों को रोकना मुश्किल होता जा रहा है। रक्षा तैयारियों पर राजनाथ सिंह ने 'हार्ड पावर' को 'सॉफ्ट पावर' के साथ मिलाने की जरूरत पर जोर दिया और 'स्मार्ट पावर' की ओर बदलाव का आव्हान किया।

सरकार की कोशिशों की वजह से डिफेंस सेक्टर में हुई ग्रोथ पर राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन 2014 में 40 हजार करोड़ रुपये से बढ़ कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया है। रक्षा निर्यात 2013-14 में 686 करोड़ रुपये से बढ़ कर 39,000 करोड़ रुपये के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया है और भारत के रक्षा उत्पाद लगभग 100 देशों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि देश इस साल 2 लाख करोड़ रुपये और 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा और 2029 तक 50 हजार करोड़ रुपये के रक्षा उत्पाद निर्यात करेगा।

एक नवम्बर से कॉलर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी) को 1 नवंबर, 2026 से कॉलिंग नेम प्रेज़ेंटेशन (सीएनएपी) सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। सीएनएपी भारत की सत्यापित कॉलर पहचान प्रणाली है, जिसके जरिए कॉल करने वाले का नंबर और नाम स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है।

दूरसंचार विभाग के आदेश के अनुसार, 4जी और उससे आगे की पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क, जैसे 5जी, पर सभी यूज़र्स के लिए सीएनएपी डिफॉल्ट रूप से सक्रिय रहेगा। कॉल आने पर इस सुविधा के जरिए फोन की स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम और नंबर दिखाई देगा। आदेश में कहा गया है कि टू जी और थ्री जी नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क पर इस सेवा को लागू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा।

आदेश के अनुसार, कॉल आने पर स्क्रीन पर सबसे पहले कॉल करने वाले का नंबर दिखाई देगा, फिर उस व्यक्ति का नाम दिखेगा, जो प्राप्तकर्ता के फोन की कॉन्टैक्ट सूची में सेव है। यदि नंबर सेव नहीं है, तो घरेलू कॉल के मामले में कॉल करने वाले का वह नाम दिखाया जाएगा, जो मूल दूरसंचार ऑपरेटर के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज है।

अंतरराष्ट्रीय कॉल आने पर स्क्रीन पर ''इंटरनैशनल'' लिखा दिखाई देगा।

प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता को ऐसा डेटाबेस स्थापित करना, संचालित करना और उसका रखरखाव करना होगा, जिसमें ग्राहकों के नाम उनके फोन नंबरों से जुड़े होंगे। कॉल प्राप्त करने वाला ऑपरेटर इस डेटाबेस से नाम हासिल करेगा और उसे कॉल पाने वाले यूज़र की स्क्रीन पर प्रदर्शित करेगा।

दिल्ली पुलिस को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनुमति नहीं दे सकता। खासकर तब, जब किसी ऐसे संगठन ने विरोध प्रदर्शन का आ ान किया हो, जिसका हाल का इतिहास भीड़ की हिंसा, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा कई लोगों के घायल होने की घटनाओं से जुड़ा हो। इसके बाद 6, 7 और 8 अक्टूबर को भी घटनाएं हुई थीं।''

हलफनामे में कहा गया, ''पुलिस प्रशासन के ईमानदार प्रयासों के बावजूद, उसकी कार्रवाई को लेकर गलत धारणा फैलाने की कोशिश की जा रही है।''

यह हलफनामा अदालत की अवमानना के उस मामले में दाखिल किया गया, जिसमें आरोप है कि अधिकारियों ने 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में मेट्रो और ट्रेन सेवाओं पर किसी भी तरह की पूर्ण रोक नहीं लगाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन किया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बैंच गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करने वाली है।

ग्यारह अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने मेट्रो और ट्रेन सेवाओं को लेकर अदालत के निर्देशों के कथित उल्लंघन के मामले में, पहली नज़र में अपना पक्ष साबित करने वाले आधार पेश किए हैं। बैंच ने पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार, केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) की अध्यक्ष डी. थारा को नोटिस जारी किए थे।

ज्ञातव्य है कि सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन का आव्हान किया था। पार्टी ने उन पर मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए थे।

आमिर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया है।

नोटिस देने की प्रमुख वजह इमरान खान की नागरिकता और भारत में उनके रहने की कानूनी स्थिति बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और भारत में ओसीआई कार्ड के आधार पर रह रहे हैं। ओसीआई कार्ड भारतीय नागरिकता नहीं है। इसलिए इसके धारकों को भारत में रहने और यात्रा करने की कई सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन उन्हें भारतीय नागरिकों के सभी संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार हासिल नहीं होते।

यमन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार करती है। धमाकों के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।

यमन सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि अदन में मौजूद सरकार के नेता सुरक्षित हैं। हालांकि, सरकार के कई बड़े नेता देश से बाहर रह रहे हैं।

हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने अदन में सऊदी अरब से जुड़े सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाया।

सरकारी तबादलों में मनमानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर्मचारी के तबादले के प्रस्ताव के साथ इन बिंदुओं पर आवश्यक टिप्पणी नहीं होगी, तो वरिष्ठ उप शासन सचिव, उप शासन सचिव या सहायक शासन सचिव स्तर से आयुक्त, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के माध्यम से प्रस्ताव संबंधित विभागाध्यक्ष को अनुपालन के लिए वापस भेज दिया जाएगा।

ज्ञात रहे कि हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में स्पष्ट तबादला नीति (ट्रांसफर पॉलिसी) बनाने के लिए पूर्व न्यायाधीश आलोक शर्मा, महाधिवक्ता और मुख्य सचिव को मिलाकर एक राज्यस्तरीय कमेटी बनाई जाए, जो आगामी 2 माह के भीतर नीति निर्धारण करे। इस नीति के तहत यह तय किया जाए कि विभागाध्यक्षों को तबादला प्रस्ताव, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए भेजने से पहले यह स्पष्ट करना होगा कि किसी अनिवार्य वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। जिस कर्मचारी का तबादला करना प्रस्तावित है, उसने निर्धारित सामान्य कार्यकाल पूरा किया है या नहीं। समय से पहले तबादला होने पर उसके प्रशासनिक कारण भी बताने होंगे।

इसके साथ ही दुर्गम, दूरस्थ, पिछड़े और सीमावर्ती स्थानों पर तैनात कर्मचारियों की स्थिति तथा उनके पिछले कार्यकाल और तबादले की जानकारियां देनी होंगी। पति-पत्नी से संबंधित परिस्थितियों, चिकित्सा एवं दिव्यांगता संबंधी जरूरतों, सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचे कर्मचारियों तथा विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त कर्मचारियों की प्रासंगिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा, तबादले वाले स्थान पर स्वीकृत पद की उपलब्धता, कम समय में बार-बार तबादले, दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई या बाहरी प्रभाव के आरोप, कर्मचारी की ओर से पहले दिए गए अभ्यावेदन तथा लागू विभागीय तबादला नीति और सरकारी निर्देशों की भी जांच करनी होगी। इसके अतिरिक्त, तबादले की वैधता, औचित्य और निष्पक्षता से जुड़े अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर भी विचार करना होगा।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान कैबिनेट ने भले ही किसी तबादला नीति को लागू नहीं किया हो, परंतु हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद, राज्य सरकार और इसके अधीन सभी विभागों के पास तबादला करने से पूर्व निर्धारित बिंदुओं का एक प्रपत्र तैयार हो गया है, जो कि तुरंत लागू हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इन बिंदुओं पर राज्यस्तरीय कमेटी की भी जवाबदेही तय की है।

पानी की बोतल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थित बीबीसीएन रॉयल रेस्टोरेंट एंड पार्टी हॉल गए थे।

वहां उन्होंने पानी की एक बोतल मंगाई। बोतल पर अधिकतम खुदरा मूल्य 18 रुपये छपा था, लेकिन रेस्टोरेंट ने उनसे 20 रुपये वसूले।

हालांकि, कीमत का अंतर केवल 2 रुपये था, लेकिन अग्रवाल ने रेस्टोरेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

घटना के बाद, अग्रवाल ने अलीगढ़ के जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

सुनवाई के दौरान, उन्होंने सबूत के तौर पर रेस्टोरेंट का बिल और पानी की बोतल का फोटो पेश की।

बिल में स्पष्ट रूप से दर्ज था कि रेस्टोरेंट ने बोतल के लिए 20 रुपये वसूले थे, जबकि उस पर छपा अधिकतम खुदरा मूल्य 18 रुपये था।

इस साल के अंत तक शुरु हो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इनमें हवा के प्रवाह पर आधारित शीतलन व्यवस्था (एयरफ्लो बेस्ड कूलिंग) और साइकिल रखने की सुविधा भी होगी, जिससे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन और यात्रा के अंतिम पड़ाव तक आने-जाने में मदद मिलेगी।

इस लॉन्च के साथ मुंबई, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाद, भारत के दूसरे सबसे बड़े मैट्रो रेल ऑपरेटर के तौर पर अपनी जगह को और मजबूत करेगा। मुंबई में फिलहाल 101 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क चालू है और प्रतिदिन लगभग 16 लाख यात्री इसका इस्तेमाल करते हैं।

मुंबई में चार मेट्रो लाइनें पूरी तरह से चालू हैं। इनमें 11.4 किलोमीटर लंबी वर्सोवा-घाटकोपर लाइन शामिल है, जिसे 2014 में शुरू किया गया था। इसके अलावा, 18.6 किलोमीटर लंबा दहिसर ईस्ट-अंधेरी वेस्ट कॉरिडोर है, जिसे 2022-23 में अलग-अलग चरणों में खोला गया था। 33.5 किलोमीटर लंबा आरे-कफ परेड का पूरी तरह भूमिगत मार्ग 2025 में शुरू हुआ था। वहीं, 16.5 किलोमीटर लंबी दहिसर ईस्ट-गुंदवली लाइन 2022-23 में चालू हुई थी।

दो अन्य मेट्रो लाइनें आंशिक रूप से चालू हैं। इनमें लाइन 2बी का फेज़ 1 शामिल है, जो मंडाले-डायमंड गार्डन को चेंबूर से जोड़ता है। इसके अलावा, दहिसर ईस्ट-मीरा रोड हिस्से पर लाइन 9 का पहला फेज़ है।

लगभग आधा दर्जन और मेट्रो लाइनें निर्माणाधीन हैं। इन सभी को 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

लॉन्च इवैंट में बोलते हुए एल्स्टॉम इंडिया के प्रबंध निदेशक ओलिवियर लॉयसन ने कहा, ''मुंबई की सस्टेनेबल मोबिलिटी जर्नी में एक पसंदीदा पार्टनर के रूप में, हमें विश्वास है कि हमारी उन्नत रेल तकनीक और उत्पाद हर मुंबईकर को वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्स्पीरिएंस देंगे।'' लार्सन एंड टुब्रो के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एस. रामकुमार ने एल्स्टॉम और एमएमआरडीए के साथ इस सहयोग को एक ''महत्वपूर्ण उपलब्धि'' बताया। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी भविष्य की परियोजनाओं में भी विभिन्न प्रणालियों को बेहतर तरीके से एकीकृत करने में मदद करेगी।

'धर्म परिवर्तन करने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिवर्तन के अधिकार की रक्षा करना था, ताकि धर्म बदलने वाले व्यक्ति को अपने समुदाय से जुड़े सामाजिक लाभों से वंचित न होना पड़े। फिर भी, मद्रास हाई कोर्ट ने 25 जून को इस सरकारी आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ईसाई और इस्लाम धर्म के सिद्धांतों में जाति व्यवस्था नहीं है।

इसलिए इन धर्मों को अपनाने वाले व्यक्ति हिंदू के रूप में अपनी जाति की पहचान का दावा नहीं कर सकते। हाई कोर्ट का यह फैसला समीर अहमद की याचिका के बाद आया था। उन्होंने 2015 में इस्लाम धर्म अपनाया था और 2024 के सरकारी आदेश के तहत ''मुस्लिम लेब्बाई'' समुदाय का प्रमाणपत्र पाने के लिए आवेदन किया था। तहसीलदार ने उनका आवेदन खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार का आदेश रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज करने के साथ, 2024 के सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित करने वाला मद्रास हाई कोर्ट का फैसला अब अंतिम हो गया है।

17 राज्यों में स्पैशल समरी रिविज़न के लिए निर्देश जारी

अगले वर्ष तीन क्वालिफाइंग डेट्स के लिए अग्रिम आवेदन दिए जा सकेंगे

- **चुनाव आयोग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अभी एसआईआर शुरु नहीं हुआ है। वहाँ की मौसम स्थितियों को देखते हुए पुर्ननिरीक्षण कार्यक्रम उचित समय पर घोषित किया जाएगा।**

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (स्पैशल समरी रिविज़न-एस.एस.आर,) के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि क्वालिफाइंग डेट के आधार पर मतदाता सूची को संशोधित किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2027 की तीन अन्य अर्हता तिथियों के लिए भी अग्रिम आवेदन लिए जाएंगे।

चुनाव आयोग ने इन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिये हैं। इस एसएसआर का उद्देश्य मतदाता सूची में छूट गए पात्र लोगों, युवाओं और पहली बार मतदान के लिए पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करना है। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

आयोग ने पत्र में लिखा है कि 29 सितंबर 2026 को जारी निर्देशों के क्रम में यह फैसला लिया गया है। इसके तहत एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2027 की अर्हता तिथियों के लिए भी पात्र नागरिकों से अग्रिम आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आयोग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में अभी तक एसआईआर शुरू नहीं किया गया है। वहां की मौसम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पनरीक्षण कार्यक्रम उचित समय पर घोषित किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत, मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्थापन 2 नवंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर को होगा। इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक का समय दिया जाएगा। दावों और आपत्तियों का निपटान 28 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी को जारी होगी।

हर जगह सफेद स्कॉर्पियो मेरा पीछा कर रही है'

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि उनके ठहरने की जगह को चारों ओर से सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों ने घेर रखा है और उन पर लगातार नजर रखी जा रही है।

अभिजीत दीपके ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, ''मैं जहां ठहरा हुआ हूं, उस जगह को चारों तरफ से सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों ने घेर रखा है। ये लोग लगातार मेरी निगरानी कर रहे हैं। सफेद रंग की स्कॉर्पियो भी हर जगह मेरा पीछा कर रही है।'' दीपके का यह बयान ऐसे समय आया है, जब शुक्रवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर प्रशासन और पुलिस सतर्क हैं। इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है।

टैक्सस में विशाल ऑयल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दोनों सरकारें व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रही हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 15 अक्टूबर को कहा कि बातचीत अंतिम चरण के करीब है, हालांकि कानूनी मसौदा तैयार करने और कुछ लंबित मुद्दों पर अभी काम बाकी है। ऐसे में रुबियो की बातचीत उस समझौते को लेकर राजनीतिक गति बनाए रखने का अवसर दे सकती है, जिसे दोनों पक्ष आगे बढ़ाना चाहते हैं।

द्विपक्षीय तनाव ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के लिए श्रम प्रमाणन कार्यक्रम से भारतीय कंपनियों समेत कई कंपनियों को निलंबित किए जाने के अमेरिकी फैसले ने कुशल कर्मचारियों की आवाजाही को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं। नई दिल्ली ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की उस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने विदेशी प्रौद्योगिकी कर्मचारियों को ''विदेशी बंधुआ मजदूर'' बताया था।

ये विवाद दोनों देशों के संबंधों में मौजूद एक व्यापक विरोधाभास को उजागर करते हैं। दोनों देश आर्थिक एकीकरण को गहरा करना चाहते हैं, लेकिन इमिग्रेशन, बाज़ार तक पहुंच और विदेशी कंपनियों के साथ व्यवहार को लेकर उनके बीच मतभेद बने हुए हैं।

रुबियो के दौरे के समय को लेकर एलन मस्क की रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी पर हालिया टिप्पणी के कारण भी चर्चा हुई है। खबरों के अनुसार, भारत में स्टारलिंक की शुरुआत से जुड़ी कथित नियामकीय देरी के बीच मस्क ने अंबानी को पीएम अंबानी कहा था। रिलायंस का जियो कारोबार और स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट बाज़ार में एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं।

हालांकि, ऐसा कोई पुष्ट सबूत नहीं है कि मस्क की टिप्पणी के कारण रुबियो के दौरे का कार्यक्रम तय किया गया। अमेरिकी विदेश विभाग के आधिकारिक कार्यक्रम में रणनीतिक सहयोग, ऊर्जा और वाणिज्यिक निवेश पर जोर दिया गया है। रिफाइनरी का दौरा सार्वजनिक बयानबाजी से अलग, अपने आप में स्पष्ट आर्थिक महत्व रखता है।

रुबियो की यात्रा के बाद भी उच्चस्तरीय संपर्क जारी रहने की संभावना है। इसी महीने के अंत में एटलांटा में जी-20 की बैठक के दौरान विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिसंबर में फ्लोरिडा में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की भी उम्मीद है। इससे उन्हें अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत का एक और अवसर मिल सकता है।

दोनों सरकारों के सामने तत्काल चुनौती यह है कि क्या इमिग्रेशन से संबंधित मतभेदों के कारण दोनों देशों के संबंधों में आ रहे अवरोध को रणनीतिक सहयोग व व्यवसायिक हित से रोका जा सकता है। जामनगर साझा आर्थिक हितों का एक प्रभावशाली प्रतीक है, लेकिन इस प्रतीक को टिकाऊ समझौते में बदलने के लिए दोनों पक्षों को रियायतें देनी होंगी और नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908